

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार रघुनाथपुर
 गौरीदत्तजी निवेदन है कि राजस्व शुभ चोलाकेडा खाता स. 68 में शर्मा
 का नाम रामलाल दर्ज है। जिसकी आधार कार्ड, राशनकार्ड व भरदत्ता पहचान पत्र
 में रामुराम दर्ज है। अतः शर्मा का नाम रामलाल के बजाय रामुराम करना
 पत्रावली है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
 दिनांक :- 10/11/21

क्रमांक : राजस्व/2020/407

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांपा की जाती है /नहीं की जाती है।

उरुस्त किया जाव उचित है

10/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1186

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	चोलाकेडा	2015-18	68	रामलाल पुत्र मालदास	रामुराम पुत्र मालदास

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/998-99
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी